

The Chhattisgarh Contingency Fund (Amendment) Act, 2015

Act No. 7 of 2015

Amendment appended: 11 of 2025

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

'बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगद/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) र् प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 मार्च 2015— चैत्र 9, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2015

क्रमांक 2952/डी. 106/21-अ/प्रारू. /छ.ग./15. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24-03-2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक ७ सन् २०१५)

छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (क्र. 1 सन् 2001) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम तथा 1. प्रारंभ.
- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- धारा 3 में संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (क्र. 1 सन् 2001) की धारा 3 में, शब्द "चालीस" के स्थान पर, शब्द "सौ" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2015

. क्रमांक 2952/डी. 106/21-अ/प्रारू. /छ.ग./15. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्र. 7 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 7 of 2015)

THE CHHATTISGARH CONTINGENCÝ FUND (AMENDMENT) ACT, 2015

An Act to amend the Chhattisgarh Contingency Fund Act, 2001 (No. 1 of 2001).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

- Short title and commencement.
- (1) This Act may be called the Chhattisgarh Contingency Fund (Amendment) Act, 2015.
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- Amendment of 2. In Section 3 of the Chhattisgarh Contingency Fund Act, 2001 (No. 1 of 2001), for the word "forty", the word "hundred" shall be substituted.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 393]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 अप्रैल 2025 — वैशाख 8, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 अप्रैल 2025

क्र. 3649 / डी. 59 / 21—अ / प्रार्फ. / छ.ग. / 25. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 16—04—2025 को राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 11 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2025

छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (क्र. 1 सन् 2001) को अग्रतर संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

- संक्षिप्त नाम 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आकरिमकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलाएगा। तथा प्रारंभ.
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- धारा 3 का 2. छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (क्र. 1 सन् 2001) की धारा 3 में, शब्द ''सौ'' कं स्थान पर, शब्द ''एक हजार'' प्रतिस्थापित किया जाए।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 अप्रैल 2025

क्र. 3649 / डी. 59 / 21—अ / प्रारू. / छ.ग. / 25. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ आकरिमकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 11 of 2025)

THE CHHATTISGARH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2025.

An Act further to amend the Chhattisgarh Contingency Fund Act, 2001 (No. 1 of 2001).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Sixth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1.

- (1) This Act may be called the Chhattisgarh Contingency Fund (Amendment) Act, 2025.
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 3.

In Section 3 of the Chhattisgarh Contingency Fund Act, 2001 (No. 1 of 2001), for the word "hundred", the word "one thousand" shall be substituted.